

25-5-2016

राजस्थान लोक अदालत नाम रखके हुए  
के तहत उभयपक्षों को सुनवाई हेतु  
नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली भेजे  
राजस्थान लोक अदालत स्थल तथा वेत  
गुण्य सुनवाई पर पैरा दुबई प्राची उक्त  
उपाधिकारी प्राची का मूल काद निस्तारित  
हो जाने से एक जापक के चलने का  
कोई औचित्य नहीं है। अतः जापक शही  
स्तर पर स्तारिज किया जाता है। पत्रावली  
प्राथम्यपूर्ण होकर रखने से समय ही तथा  
शामिल मूल काद को



दि 25